न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 13 / 2025
जीसीएमएस नं. : 2025 / 14

प्रार्थी :–		**अप्रार्थी :–**
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	**बनाम**	श्री तोसिफ गौरी / शाहिद गौरी, प्रोपराईटर हॉटल रेहाना, मिशन कम्पाउंड के पास, बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 02–04–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 26.12.2024 को मिशन कम्पाउंड के पास स्थित हॉटल रेहाना की जांच उसके प्रोपराईटर श्री तोसिफ गौरी की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एच.पी गैस	[illegible]	[illegible]	15.200	3.100
2	एच.पी गैस	[illegible]	[illegible]	15.700	1.800

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.06.20 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

श्री तौसिफ गौरी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए

जिला कलेक्टर
बांसवाडा (राज.)

गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर रामचन्द्र गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सूरज कटारा/ रुपचंद को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 06.02.2025 को अप्रार्थी की ओर से श्री विनोद नायर अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 19.03.2025 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 26.12.2024 को मिशन कम्पाउंड के पास बांसवाडा में स्थित हॉटल रेहान की जांच में दो घरेलु गैस सिलेण्डरो को व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। वह हॉटल रेहान अप्रार्थी तौसिफ गौरी की नही है। तौसिफ गौरी की दुकान हॉटल रेहान के पास अंडे बेचने की है। अप्रार्थी तौसिफ अपने दो खाली घरेलु गैस सिलेण्डरो को अपने घर के लिये भरवाने के लिये अपनी दुकान के बाहर रखा था तभी आनन फानन में ऑफिस के अधिकारी आए और सिलेण्डरो को उठा कर गाडी में रख दिया और अप्रार्थी को बिना बताये सिलेण्डर ले गए और कहा कि बाद में आकर रसद विभाग से सिलेण्डर ले जाना। अप्रार्थी ने उस वक्त भी कहा कि यह हॉटल मेरी नही है और ना ही मै उसका मालिक हुं। अप्रार्थी ने वक्त घटना अपने घरेलु गैस सिलेण्डर की डायरी भी प्रवर्तन निरीक्षक को बताई किन्तु उन्होने अप्रार्थी की कोई बात नही सुनी। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का दुरुपयोग एवं हनन नही किया है। मात्र रसद विभाग के राज्य सरकार के आदेश के तहत आनन फानन में यह मुकदमा बनाया है। उक्त परिवाद खारिज किये जाकर अप्रार्थी को दोष मुक्त कर उसके दो घरे[illegible]र उसे पुनः लौटाये जाने आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.06.20 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 02.04.2025 को अप्रार्थी स्वयं व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को बार बार रुक रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई। किन्तु अप्रार्थी

जिला कलक्टर

स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 26.12.2024 को मिशन कम्पाउंड के पास स्थित हॉटल रेहाना की जांच उसके प्रोपराईटर श्री तोसिफ गौरी की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। जिसकी पुष्टि मौके पर लिये गये फोटो ग्राफ से की जा सकती है। मौके पर उपस्थित कर्मचारी पप्पुराम और तौसिफ गौरी ने स्वयं को हॉटल रेहान का मालिक बताया। श्री तौसिफ गौरी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर रामचन्द्र गैस एजेन्सी बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सूरज कटारा/ रुपचंद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा फोटो पेश किया गया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो में भी उक्त व्यवसायिक स्थान पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होना एवं एक घरेलु गैस सिलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अन्दर की ओर दर्शित हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त दोनो घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर 2 घरेलु गैस का उपयोग किया जाना [illegible] प्रमाणित है। चूंकि एल.पी.जी अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.06.20 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 02–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.06.20 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested